

पत्र संख्या—11 /आ०—न्याय—10 /2014 सा०प्र०.....  
बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।  
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।  
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।  
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।  
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।

पटना—15, दिनांक.....

विषय:- जाति, आय, आवासीय एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्रों में प्रमाण—पत्र धारक के माता एवं पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर डब्ल्यू०पी०सी० संख्या—576 /2014, माधव कान्त मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध निम्नांकित है :-

"Petition under Article 32 of the Constitution of India for issuance of a writ mandamus to all the respondents to issue appropriate ordinances/orders to every statutory/authorities, local bodies institutions and all concerns to record the paternity of mother of every person compulsory and in future the paternity of mother with the name of every person should be mandatory and the paternity of father should be optional for everyone with affidavit."

विदित हो कि यह मामला माननीय उच्चतम् न्यायालय में अभी विचाराधीन है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सभी प्रकार के अभिलेखों में माता का नाम आवश्यक रूप से दर्ज करने तथा पिता के नाम के उल्लेख को ऐच्छिक बनाने की माँग की गई है।

विचार—विमर्श के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि कल्याणकारी सरकार होने के नाते व्यवहारिक रूप से यह प्रस्ताव लचित प्रतीत होता है, क्योंकि महिला विशेष के परित्यक्तता हो जाने के कारण अन्यत्र विवाह कर लेने की स्थिति में पहले पति से उत्पन्न संतान को पिता का नाम दिये जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जबकि किसी भी स्थिति में माता नहीं बदलती है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति, आय, आवासीय, एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्रों में प्रमाण पत्र धारक के नाम के साथ उनके माता एवं पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।

नयी व्यवस्था आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाण-पत्र मान्य होगे। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(राजेन्द्र राम)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-11 / आ०—न्याय—10 / 2014 सा०प्र०.....पटना—15, दिनांक.....

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-11 / आ०—न्याय—10 / 2014 सा०प्र० 226४ पटना—15, दिनांक 10.2.15

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विश्वविद्यालय/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव ५८९९७/८२३५